Destop/conf/office order

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक : माशिबो / गोप. / 2021 / 985 दिनांक : 1-3-2021

–:: कार्यालय आदेश ::–

बोर्ड द्वारा वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत कटौती करने का निर्णय लिया जाकर संशोधित पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दिया गया है। अतः बोर्ड की माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / प्रवेशिका / वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाऐं संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर ही होगी। उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षाऐं सैद्धान्तिक परीक्षाओं से पूर्व 01.04.2021 से 30.04.2021 के मध्य सम्पन्न कराई जाएगी तथा अंक योजना बोर्ड द्वारा जारी प्रायोगिक निर्देश पुस्तिका (प्रपत्र--51) अनुसार होगी।

सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ :–

1. निजी सचिव, (अध्यक्ष / सचिव), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर
3. शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
4. शासन उप सचिव, शिक्षा ग्रुप–6, विभाग जयपुर
5. समस्त अधिकारी
6. समस्त अनुभाग अधिकारी
7. संबंधित पंजिका

1/3/21
मुख्य नियंत्रक परीक्षा

<u>माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर</u>

वर्ष 2021 प्रायोगिक परीक्षा संबंधित दिशा–निर्देश

समस्त शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि निम्नानुसार दिशा–निर्देशों का अध्ययन कर विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाऐं बोर्ड नियमानुसार सम्पन्न करावें :–

1. उच्च माध्यमिक वर्ष 2021 के नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षाऐं दिनांक 01 अप्रेल, 2021 से 30 अप्रेल 2021 के मध्य सम्पादित करवाई जायेंगी।
2. राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड 19 की गाईडलाईन की पूर्ण पालना करते हुए प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न करवाई जाये। विद्यालय में परीक्षक एवं परीक्षार्थी आवश्यक रूप से मास्क पहनकर आयेंगे।
3. विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा सामग्री वितरण केन्द्रों के माध्यम से प्रेषित कर दी गई है। यदि किसी विद्यालय को परीक्षा सामग्री के संबंध में कोई कमी दृष्टिगत हो तो वो बोर्ड की गोपनीय शाखा के दूरभाष 0145–2623949 पर सूचित करें तथा बोर्ड के गोपनीय शाखा की ई मेल आई डी bserconf2018@gmail.com पर सूचित करें।
4. समस्त विद्यालय, बोर्ड द्वारा भेजी गई सामग्री यथा उत्तर–पुस्तिकाऐं, ड्राईंग शीट्स, ग्राफ पर परीक्षा सम्पन्न करायेंगे।
5. कोरोना महामारी के दृष्टिगत इस वर्ष (2021) की प्रायोगिक परीक्षाओं में बोर्ड द्वारा बाह्य परीक्षक नियुक्त नहीं किये जायेंगे। प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए विद्यालयों में अध्यापन करवा रहे योग्यताधारी विषयाध्यापक/शिक्षकों से ही विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न कराई जावे। जिन विद्यालयों में निर्धारित योग्यताधारी शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं तो वे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क कर परीक्षक नियुक्त करावें। जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे विद्यालयों में समीप स्थान वाले शिक्षकों को नियुक्त करें।
6. परीक्षा सम्पन्न कराने के एक दिवस बाद तक विषयवार अंक ऑनलाईन भिजवाना सुनिश्चित करें। ऑनलाईन अंक भिजवाने हेतु बोर्ड की वेबसाईट https://www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर ''Practical Help'' उपलब्ध रहेगा। इस लिंक पर क्लिक कर अंक भरने संबंधित जानकारी प्राप्त कर अंक भिजवाये जायेंगे।
7. विद्यालयों की विषयवार नामावली (NR) अपलोड की गई है। शाला प्रधान अपनी विद्यालय की लॉगिन आई.डी से ओपन कर नामावली (NR) प्रिन्ट कर लेवें।
8. समस्त विद्यालयों को प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित <u>निर्देश पुस्तिका (प्रपत्र–51)</u> प्रायोगिक परीक्षा सामग्री के साथ भिजवाई गई है। समस्त शाला प्रधान विद्यालय के विषयाध्यापकों को उनके विषय से संबंधित निर्देश उपलब्ध कराते हुए दिये गये निर्देशों और अंक योजना अनुसार परीक्षा कराने हेतु निर्देशित करें। निर्देश पुस्तिका (प्रपत्र–51) बोर्ड वेबसाईट पर भी उपलब्ध है।
9. समस्त शाला प्रधान विद्यालय के प्रायोगिक परीक्षा के कार्यक्रम का निर्धारण कर कार्यक्रम से **दो दिवस** पहले संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय को अनिवार्य रूप से सूचना देंगे।
10. प्रायोगिक परीक्षा के दौरान विद्यालय में सम्पन्न हो रही विषयवार प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले परीक्षार्थी की परीक्षा उसी परीक्षक द्वारा उसी विद्यालय में लिये जा रहे अन्य बैच में शाला प्रधान की विशेष अनुमति से करवाई जा सकेगी। किसी

भी स्थिति में अन्य परीक्षा अथवा अन्य विद्यालय में परीक्षा की अनुमति नहीं दी जायेगी तथा परीक्षार्थी को अनुपस्थित मानकर परिणाम घोषित कर दिया जायेगा जिसके लिये संबंधित विद्यालय एवं संबंधित परीक्षार्थी जिम्मेदार रहेगा। अतः समस्त शाला प्रधान विद्यालय की प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम विद्यालय के सूचनापट्ट पर चस्पा करायें तथा इनके विद्यालय के विद्यार्थियों को भी सूचित करावें।

11. किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा नियम विरूद्ध कार्यवाही, आचरण आदि की शिकायत है तो पूर्ण विवरण के साथ बोर्ड को ई मेल, नियंत्रण कक्ष (दूरभाष 0145–2620739, 2623646) पर दी जावे तथा संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर भी सूचित करावें।

12. बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा दौरान जिले के जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय, प्रायोगिक परीक्षा का निरीक्षण करवायेंगे। अतः समस्त शाला प्रधान निरीक्षण में आवश्यक रूप से सहयोग प्रदान करें।

13. विद्यालय की सभी विषयों की प्रायोगिक परीक्षाऐं सम्पन्न होने के पश्चात् शाला प्रधान विषयवार प्रायोगिक परीक्षा की उत्तर–पुस्तिकाओं को नत्थी/बांधकर एक टॉट बैग/बोरे में बांधकर उस बोरे पर विद्यालय का क्रमांक, विद्यालय का नाम तथा ''प्रायोगिक परीक्षाऐं उत्तर–पुस्तिकाऐं'' लिखकर निकटस्थ संग्रहण वितरण केन्द्र अथवा जहां से प्रायोगिक परीक्षा सामग्री प्राप्त की गई है, वहां पर जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें। बोर्ड द्वारा इन संग्रहण वितरण केन्द्रों से उत्तर–पुस्तिकाऐं मंगवा ली जायेंगी। प्रपत्र–51 में आखिरी पृष्ठ पर दिये गए प्रपत्र–56 की प्रविष्टियों को भर कर, बोरे पर चिपकाकर भेज दें।

14. किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये बोर्ड की गोपनीय शाखा के ई–मेल आई. डी. bserconf2018@gmail.com पर सूचित करें तथा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष 0145–2620739, 2623646 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,अजमेर

Phone No. 0145-2623776 (Sr. Sec.), 2623646 (Secondery) 2632068 (Panel), 2426994 (Fax)
Web Site - www.rajedu board.nic.in/ E-mail : Secy-boser-rj@nic.in /

समस्त शाला प्रधानो के सूचनार्थ

समस्त शाला प्रधान को सूचित किया जाता है कि आपके विद्यालय में अध्ययन कर रहे किसी परीक्षार्थी के विषय परिवर्तन के कारण प्रायोगिक परीक्षा ली जानी है तो बोर्ड की सम्बधित परीक्षा शाखा में नियमानुसार शुल्क जमा करवा कर विषय परिवर्तन की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे परीक्षार्थी की परिवर्तित विषय की प्रायोगिक परीक्षा विद्यालय के अन्य परीक्षार्थियों के साथ सम्पन्न करावे, तथा ऐसे परीक्षार्थी के अंक ऑनलाईन भिजवाने हेतु लिंक में ADD NEW ROLL NUMBER में नामांक दर्ज कर अंक भिजवायें। बिना अनुमति एवं शुल्क के अभाव में विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा।

उप निदेशक (गोपनीय)